

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 490 / 2019-20



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री नवीन केरकेट्टा

सुश्री मरसा बरला

- विक्रेता

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
27.07.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक श्री नवीन केरकेट्टा पिता स्व० नोतरोत केरकेट्टा ग्राम-पाण्डू, पोस्ट-बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने सुश्री मरसा बरला पिता श्री देवा बरला ग्राम-बुन्दुमामईल, पोस्ट-जाते, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr><tr><td>पाण्डू</td><td>248</td><td>49</td><td>1796</td><td>0.20</td></tr></table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0420431972 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 412 दिनांक 17.07.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं०- 398 दिनांक 17.06.2005 द्वारा क्रय किया है। खतियानी रैयत का नाम डीम्बु पाहन वैगराह हैं। पंजी II के अनुसार नवीन केरकेट्टा के नाम भूमि का रकबा 5.00 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 5.00 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 7124.00(सात हजार एक सौ चौबीस)रु० प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.80 एकड़ रह जाती है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>सुश्री पूनम टुटी के द्वारा समर्पित शपथ पत्र सं०- 1566 दिनांक 27.07.20 के अनुसार वर्तमान में अविवाहित है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री नवीन केरकेट्टा पिता स्व० नोतरोत केरकेट्टा को सुश्री मरसा बरला पिता श्री देवा बरला के साथ ग्राम पाण्डू के खाता सं० 49 खेसरा संख्या 1796 का कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 7124.00(सात हजार एक सौ चौबीस)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित.</p> <div> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</div> <div> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</div>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	पाण्डू	248	49	1796	0.20	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
पाण्डू	248	49	1796	0.20								